न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग मुंगावली जि. अशोकनगर

क्रमांक 599 बा।21/11-12

हरिशंकर कोरा ...... आवेदक

बनाम

सुरेशकुमार, नरेशकुमार आदि .. अनावेदकगण

स्थगन आदेश दिनांक 11-6-2012

नायब तहसीलदार व्दारा प्र०क्र० 227अ68/11-12 ग्राम अथाईखेडा प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि ग्राम अथाईखेडा की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 696/1 रकवा 1.890 जो शाला भवन, उद्यान आदि के लिये सुरक्षित रखी गई है पर ग्राम के विभिन्न व्यक्तियों व्दारा अतिक्रमण कर मकान निमार्ण कर रहे है ।। कुछ व्यक्तियों व्दारा मकान निमार्ण कर लिया गया है एंव फर्शी गाढली गई है ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार निर्माणाधीन मकान जिसष पर नरेशसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति यादव एंव सुरेशसिंह पुत्र रन्धीरसिंह जाति यादव व्दारा निमार्ण किया जा रहा है पर तत्काल रोक लगाई जाती हैएंव वर्तमान स्थिति के फोटोग्राफ मय अतिक्रमणकर्ता के फोटो सहित लिये जाकर प्रकरण में संलग्न किये जावें । शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबध में संहिता की धारा 248 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटवायें जावें ।

अनुविभागीय अधिकारी
मुंगावली

क्रमांक क्यू/रीडर/2012/ दिनांक 11-6-2012

I.G.P. (Complaint)
P.H.Q. Bhopal

प्रतिलिपि :-

1- नायब तहसीलदार मुंगावली की ओर सूचनार्थ एंव तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2- थाना प्रभारी बहादुरपुर की ओर भेजकर लेख है कि मौके पर निमार्ण पर तत्काल रोक लगाकर निमार्णाधीन स्थल के फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

3- रा०नि० अथाईखेडा/पटवारी ग्राम पुलिस बल एंव नायब तहसीलदार के साथ मौके पर जाकर तत्काल कार्यवाही करें ।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.